

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

#### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

#### सूचना

क्र. एफ-1-7-2011-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन संभाग शहडोल एवं संभाग जबलपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने का निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये रूप में उसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है।

(2) मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियों या सुझाव लिखित रूप में मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग के सचिव के पास उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रेषित किये जा सकेंगे:—

#### अनुसूची

क्रमांक	संभाग	परिवर्तन का प्रकार	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शहडोल	वर्तमान संभाग शहडोल से जिला डिण्डौरी का अपवर्जन।	पूर्व में—छत्तीसगढ़ राज्य। पश्चिम में—जबलपुर संभाग। उत्तर में—रीवा संभाग। दक्षिण में—जबलपुर संभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य।
2.	जबलपुर	वर्तमान संभाग जबलपुर में जिला डिण्डौरी को समाविष्ट करना।	पूर्व में—छत्तीसगढ़ राज्य। पश्चिम में—भोपाल और नर्मदापुरम संभाग। उत्तर में—शहडोल, रीवा और सागर संभाग। दक्षिण में—महाराष्ट्र राज्य।

### प्रस्तावित परिवर्तन के कारण

प्रशासनिक चुस्ती एवं सक्षमता, विकास की गति में तीव्रता और जनसुविधा तथा जनता के अनावश्यक खर्च की बचत के उद्देश्य से परिवर्तन प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-7-2011-सात-शा.6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-1-7-2011-सात-शा.6 दिनांक 23 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd November 2011

### NOTICE

No. F-1-7-2011-VII-S.6.—In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the power conferred by sub-section (1)/sub-section (2) of the said Section, the State Government propose to alter the limits of present division **Shahdol** and division **Jabalpur** and to define the limits thereof as specified in the schedule below.

The Prosposal will be taken into consideration of the expiry of sixty days from the date of publication the this notice in the "Madhya Pradesh Gazette" and any objection or suggestion in respect thereof may be forwarded, in writing to the secretary to Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, before the expiry of the said period:—

### SCHEDELE

No. (1)	Division (2)	Nature of change (3)	Limits (4)
1	Shahdol	Exclusion of District Dindori from the present Division Shahdol.	<b>In East</b> —Chhattisgarh State. <b>In West</b> —Jabalpur Division. <b>In North</b> —Rewa Division. <b>In South</b> —Jabalpur Division and Chhattisgarh State.
2	Jabalpur	Inclusion of District Dindori in the present Division Jabalpur.	<b>In East</b> —Chhattisgarh State. <b>In West</b> —Bhopal and Narmadapuram Divisions. <b>In North</b> —Shahdol, Rewa and Sagar Division. <b>In South</b> —Maharashtra State.

### REASONS FOR PROPOSED CHANGE

The change is proposed to bring about administrative efficiecy and efficacy, accelerate the pace of development and for public convenience and to avoid unnecessary cost of public.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.